संख्या- 9/2015/1616/22-4-14-48(47)/13

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-20जनवरी, 2015

विषय- जिला कारागार, गोण्डा में अल्पवयस्क कारागार की मुख्य प्राचीर की ऊँचाई में वृद्धि किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 37637/नम-5, दिनांक- 15 दिसम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 212/22-4-11-48(47)/13, दिनांक 23.02.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोण्डा में अल्पवयस्क कारागार की मुख्य प्राचीर की ऊँचाई में वृद्धि किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 28.05 लाख की लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, गोण्डा में अल्पवयस्क कारागार की मुख्य प्राचीर की ऊँचाई में वृद्धि किये जाने हेतु रू0 28,05,000/-(रूपया अठ्ठाइस लाख पॉच हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि परियोजना की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित उद्वरण की छायाप्रतियां संलग्न है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/2015/1616(1)/22-4-14-तदद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, गोण्डा।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in